10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(173)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012

R-4073-II/12

श्री आर० डी० शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 30-11-12 को प्रस्तुत

30-11-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री छमाधर यादव
2. महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री छमाधर यादव
3. छमाधर यादव पुत्र श्री प्यारेलाल यादव दोनों निवासी--स्टेट बैंक के पास, नौगांव तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

---आवेदकगण

बनाम

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री छमाधर यादव निवासी–स्टेट बैंक के पास, नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

---अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05/11/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

...नीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4073-दो/2012 जिला छतरपुर शैलेन्द्र विरूद्ध देवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य	